

डॉ राम मनोहर लोहिया के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार

अखिलेश त्रिपाठी¹

¹प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र विभाग, सी०एम०पी० डिग्री कालेज इलाहाबाद, इ०विं०वि०, इलाहाबाद, उ०प्र० भारत

ABSTRACT

डॉ राम मनोहर लोहिया ऐसे सत्यान्वेषी सामाजिक चिन्तक थे जो कार्य-कारण सम्बन्ध पर अवलम्बित सामाजिक समस्याओं की गहन वैज्ञानिक सीमांसा करते हैं। भारतीय समाज का जाति विभाजन, अस्पृश्य हरिजनों की हेय सामाजिक स्थिति तथा भारतीय नारी की दारुण दशा डॉ लोहिया के मनीषी हृदय को व्यथित कर देती थी। मनीषी न क्रोध करता है और न आवेश करता है, परन्तु अन्याय की निरन्तरता से मनीषी मन व्यग्र अवश्य हो जाता है। भारतीय समाज व्यवस्था की सर्व-अवर्ण, छँच-नीच तथा अमानवीय अस्पृश्यता तथा नारी की पीड़ा से डॉ लोहिया का संवेदनशील मन विद्रोही हो जाता है तथा सदियों से अन्याय, अनाचार से पीड़ित, दमित, शोषित, पदाक्रान्ति पिछड़ी जातियों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए 'विशेष अवसर' के सिद्धान्त की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। हरिजनों में आत्मसम्मान के जागरण के लिए सहभाज, अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैवाहिक सम्बन्धों का अनुसमर्थन किया है। डॉ लोहिया नारी प्रतिभा को परिवार के प्राचीरों तथा चूल्हे-चौके में कुणित नहीं होने देना चाहते थे प्रत्युत उसे शिक्षित तथा सबला बनाना चाहते थे। भारतीय वांगमय के एक पूर्ण मनीषी के रूप में डॉ लोहिया के सामाजिक व राजनीतिक विचार सदा सर्वदा प्रासारिक बने रहेंगे इसी को रेखांकित करने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

KEYWORDS: डॉ राममनोहर लोहिया, अस्पृश्यता, शोषण, मार्क्सवाद

डॉ राम मनोहर लोहिया की चिन्तन परिधि का केन्द्रस्थ बिन्दु इतिहास चक्र है। लोहिया की चिन्तन परम्परा में जातिपरक सामाजिक दृष्टिकोण मार्क्सवादी समाज की व्याख्या से पूर्णतः भिन्न है। अतएव बहुचर्चित मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टिकोण की भ्रामकता का अनावरण लोहिया के अनार्थिक, सामाजिक पक्ष में दृष्टिगोचर होता है। लोहिया के विचार की यथार्थता को समझने के लिए विज्ञानपरक दृष्टिकोण के आधार पर उन समस्त चिन्तनों के अनार्थिक पक्ष के विश्लेषण की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। (आन्द्रबेतिल्ले, 1966) अतएव उपर्युक्त प्रयोजनार्थ इतिहास चक्र के मूल सिद्धान्त का भारतीय सामाजिक संरचना के विशेष संदर्भ में तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों की सामाजिक संरचना के सामान्य सन्दर्भ में परीक्षण एवं विश्लेषण में है।

डॉ लोहिया के सामाजिक विचारों में महत्वपूर्ण है— जाति प्रथा, हरिजन समस्या या स्पृश्यता की समस्या और भारतीय नारी की समस्या।

जातिवाद इतिहास विकृति धरोहर है। इसने समाज के पतन में अहम भूमिका निभाई है। मानव समाज का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उसके संकट की शुरुआत जाति प्रथा संरचना के अभ्युदय के साथ-साथ हुई है। जाति व्यवस्था की व्यापकता के बारे में डॉ लोहिया ने स्पष्टतः कहा है कि, 'भारतीय जीवन में जाति सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व है। वे लोग जो इसे सिद्धान्त में नहीं मानते उसे व्यवहार में स्वीकार करते हैं। जीवन जाति की सीमाओं में बँधा हुआ रहता है और सुसंस्कृत लोग मुलायम आवाजों में जाति व्यवस्था के विरुद्ध

बोलते हैं पर अपनी क्रिया में वे उसे अस्वीकार नहीं कर पाते।'(लोहिया, 1964, पृ78)

डॉ लोहिया ने वर्ण तथा जाति में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने यह नहीं माना कि वर्ण या जाति का आधार स्वभाव तथा कर्तव्य विभाजन है। वह मानते थे कि वर्ण व्यवस्था बल द्वारा निर्मित की गयी एक व्यवस्था है जिसमें गुण, कर्म का कोई मूल्य नहीं है। डॉ लोहिया चाहते थे कि सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कर्म होना चाहिए न कि जन्म। जाति प्रथा एक जड़ वर्ग का द्योतक है जिसके कारण भारत का समग्र जीवन निष्पाण हो गया है। उसी के कारण भारत दासता एवं परतंत्रता का शिकार हुआ। (16 दिसम्बर, 1959 को लखनऊ में डॉ लोहिया द्वारा दिये गये भाषण का अंश) उनके विचारानुसार जब भी किसी देश में जाति के बन्धन ढीले होते हैं, तब वह देश विदेशी आक्रमण के समक्ष नत—मस्तक नहीं होता। भारतवर्ष में जाति के बन्धन सदैव से जकड़े रहे हैं। जाति—प्रथा निम्न जातियों को सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, राजनीतिक आदि दृष्टियों से पतित कर देती है। वे सार्वजनिक जीवन से लगभग बहिष्कृत रहती है और उनमें से किसी नेतृत्व की सृष्टि नहीं हो पाती। केवल उच्च जाति से ही देश के नेता और कर्णधार बनते हैं। डॉ लोहिया जाति प्रथा के कुप्रभाव के विषय में कहते हैं कि जाति अवसर को सीमित करती है, सीमित अवसर योग्यता को संकुचित कर देता है, संकुचित योग्यता अवसर को और आगे रोकती है। जहाँ जाति का प्रभुत्व है वहाँ अवसर और योग्यता लोगों के संकुचित दायरों में और अधिक सीमित होती चली जाती है। (लोहिया, 1963, पृ33)

डॉ० राम मनोहर लोहिया ने जाति व्यवस्था के उन्नमूलन के सन्दर्भ में निम्नलिखित संकल्पना प्रस्तुत की है—

डॉ० लोहिया ने जाति—व्यवस्था की आलोचना मूल रूप से चार दृष्टिकोणों से की है— आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इन्हीं चार आधारों पर जाति—व्यवस्था के उन्मूलन के लिए विचार प्रस्तुत किये हैं। लोहिया के अनुसार ब्रह्म ज्ञान और अद्वैतवाद जाति प्रथा का समर्थन नहीं करता। अद्वैतवाद एवं ब्रह्म ज्ञान व्यक्तियों को बाँटकर उन्हें, अमानवीय बनने के लिए प्रेरित नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो समस्त सृष्टि को और उसमें अन्तर्मिहित समस्त प्राणी जिनमें मानव भी सम्मिलित हैं को तुच्छ वृत्ति एवं अधोगमन से विमुख रहने की सीख देता है। किन्तु जाति प्रथा ने इससे विमुख न होकर न केवल ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा की है वरन् ब्रह्मज्ञान को छिन्न—भिन्न कर समाज के विनाश के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया है। (लोहिया, 1966, पृ॑१६)

डॉ० लोहिया ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए सामाजिक आधार का भी सहारा लिया है। उन्होंने दो तरह से सामाजिक कार्यों का अवलोकन एवं उसमें निहित त्रुटि की आलेचना की है। प्रथम आधार है, लोगों के रहन—सहन एवं खान—पान सम्बन्धी व्यवहार एवं कार्य तथा द्वितीय आधार है विवाह प्रणाली की जातीय परम्परा। गाँवों में जाति स्तर पर खान—पान का आयोजन जातियों को निर्धक जातिगत मनोभावों में ग्रसित रखता है अतएव लोहिया का सुझाव है कि अन्तर्जातीय खान—पान के आयोजन को प्रश्रय देकर लोगों को जातीय विषयक मनोभाव से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्तर्जातीय विवाह भी जातीय विभाजन की सीमा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। (लोहिया, 1963पृ॑१८३-१४१)

आर्थिक दृष्टिकोण से लोहिया का कथन है कि पिछड़ी जातियों में आत्म—सम्मान के उन्नयन के लिए उन्हें आर्थिक आधार की उपलब्धता कराना अनिवार्य है। डॉ० लोहिया ने सुझाया कि सभी भूमिहीन मजदूरों को साढ़े छः एकड़ जमीन मिले, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, ऊँची से ऊँची आमदनी या नीची से नीची आमदनी के बीच में एक मर्यादा बाँधने वाली बात लागू की जाए। (लोहिया 1970पृ॑२८) डॉ० लोहिया के अतिरिक्त अन्य किसी विचारक ने भूमि आवंटन के विषय को नहीं उठाया है। उन्होंने स्पष्टतः कहा कि “चरम दरिद्रता की अवस्था में सामाजिक चेतना मर जाती है, या कम से कम क्षीण हो जाती है। समृद्धि और सुख में रहने वाले व्यक्ति अपने और दरिद्र जनता के बीच निर्ममता की प्राचीरें खड़ी कर देते हैं। सामाजिक चेतना का पुनर्जागरण तभी संभव है, जब इन प्राचीरों को ढहाया जाय और ये प्राचीरें तभी गिर सकती हैं जबकि आमदनियों का परस्पर अन्तर निश्चित सीमा के अन्दर रखा जाये।” (लोहिया, 1956, पृ॑३२) डॉ० लोहिया के अनुसार सामान्यतः छोटी जाति के ही व्यक्ति खेतिहर मजदूर हैं वहीं भूमिहीन हैं, उन्हें को आय मर्यादा की सीमा से आर्थिक दृष्टि से उन्नत किया जा सकता है। इस प्रकार डॉ० लोहिया ने जातिगत प्रथा

के दोषों में आर्थिक विषमता को भी सम्मिलित किया। इस आर्थिक विषमता का शिकार समाज का पिछड़ा वर्ग ही हुआ है। अतएव पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा देने के पक्ष में लोहिया ने अपना विचार व्यक्त किया है। पिछड़ी जातियों में लोहिया ने औरत, शूद्र अर्थात् हरिजन, अल्पसंख्यकों में विशेष दबे मुसलमान और ईसाई तथा आदिवासियों को देश की पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया है। (लोहिया, 1970पृ॑२८)

डॉ० लोहिया ने जाति प्रथा के दोषों का विवेचन राजनीतिक दृष्टि से भी किया है। उनके अनुसार जाति प्रथा के कारण लोगों में राजनीतिक उदासीनता बढ़ी है यह उदासीनता विशेषकर पिछड़े वर्गों में बढ़ी है जो पिछड़ा वर्ग समाज का बहुसंख्यक वर्ग है। अपनी दबी हुई स्थिति के कारण वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। इसके फलस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी बहुत कम है। साथ ही उनमें नेतृत्व गुण का विकास नहीं हो पा रहा है। डॉ० लोहिया ने जाति—प्रथा के तोड़ने में वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव की भूमिका पर भी बल दिया। उनका विचार था कि “जैसे—जैसे यह वयस्क मताधिकार चलता रहेगा, चुनाव चलते रहेंगे, वैसे—वैसे जाति का ढीलापन बढ़ता रहेगा।” (वही, 29) संक्षेप में डॉ० लोहिया ने आम लोगों में राजनीतिक चेतना भरने और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए जाति—प्रथा की समाप्ति की दिशा में प्रत्यक्ष चुनाव, वयस्क मताधिकार और विशेष अवसर के सिद्धान्त की आवश्यकता पर बल दिया। अपने सुझाव के पक्ष में लोहिया ने कुछ अतिशयोवितपूर्ण बातें भी कही हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने विशेष असर का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार व्यक्तियों की क्षमता अथवा गुण के आधार पर नहीं अपितु बाध्यकारी रूप में समस्त पिछड़ी जाति के लोगों को सुविधाएँ प्रदान की जायें। उन्हें अनिवार्य रूप से राजकीय सेवाओं में तथा शासन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाये, चाहे वे उन पदों के योग्य हों या नहीं। उनका तर्क था कि जब तक पिछड़ी जातियों को जबरदस्ती राजनीतिक एवं अन्य सुविधाएँ नहीं दी जातीं, जाति—प्रथा का विभाजन बना रहेगा और समाज सदा ही शोषण एवं सर्वनाश की चक्री में पिसता रहेगा। उनके अनुसार “अवसर देने के लिए जब तक योग्यता की कसौटी होगी हिन्दुस्तानी जनता अपनी योग्यता से वंचित रहेगी।” (लोहिया, 1964पृ॑१४२) डॉ० लोहिया ने संरक्षण की नीति के सम्बन्ध में कहा कि यह उस समय तक केवल कागज पर ही रहेगा जब तक कि उन्हें उनकी योग्यता का लिहाज किये बिना सभी अवसर प्रदान नहीं किये जाते।

निष्कर्ष रूप में लोहिया के उपर्युक्त विचार की समीक्षात्मक विवरण का सार निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है—

- (1) जाति—व्यवस्था योग्यताओं और अवसरों को कुंठित एवं बाधित करती है।
- (2) इसके परिणाम स्वरूप समाज का सम्पूर्ण एवं संतुलित विकास अवरुद्ध हो जाता है।

(3) इस अवरुद्ध स्थिति के निवारण का उपाय विशेष अवसर का सिद्धान्त है।

(4) विशेष अवसर का सिद्धान्त पिछड़े वर्ग को उनकी योग्यता का ध्यान रखे बिना अवश्यंभावी रूप से शासकीय, प्रशासकीय तथा राजनीतिक नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराने का सिद्धान्त है।

(5) विशेष अवसर का सिद्धान्त सर्वप्रथम जाति संघर्ष को और तीव्र करेगा।

(6) लोहिया ने जातिगत दोषों को दूर करने के लिए तर्क की जगह भावावेश का विशेष सहारा लिया है जिसके कारण उनके सुझाव की युक्तिसंगतता संदेहास्पद प्रतीत होती है। (वही, पृ१११) परन्तु इसके साथ ही सत्य का तथ्य यह है कि हजारों वर्षों के जातीय शोषण एवं अन्याय से लोहिया व्यग्र दिखायी देते हैं।

डॉ० राम मनोहर लोहिया के जाति-प्रथा रूपी चक्र का मुख्य चिन्तनीय पक्ष पिछड़ी जाति है। लोहिया की पिछड़ी जाति की संरचना को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत वे सभी पिछड़ी जातियाँ हैं जो हरिजन तथा नारी वर्ग को समिलित नहीं करती हैं जैसे जनजाति-मुस्लिम वर्ग की दबी हुई जाति, ईसाई तथा अन्य अनेक पिछड़ी जातियाँ। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत मूल रूप से हरिजन जातियाँ आती हैं तथा तृतीय वर्ग में नारी। इन तीन समस्त पिछड़े वर्ग की श्रेणियों पर लोहिया ने वृहद विचार किया तथा उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। यह ऊपर स्पष्ट हो चुका है कि लोहिया ने किस प्रकार से दबी हुई जाति संरचना पर प्रहार किया है तथा उनके शोषकों के विरुद्ध अभियान छेड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। उनके इस अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण भाग अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी विचार एवं योजनाएँ हैं। हरिजन कहीं जाने वाली जातियों में आत्म सम्मान एवं आत्मबल की भावना को जागृत करने के लिए लोहिया ने गाँधी के सावृदश्य विचार प्रस्तुत किये। हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश, सार्वजनिक कुएँ आदि के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन एवं नियम का निर्माण तथा अन्य अनेक प्रयासों को कार्य रूप देने के लिए उन्होंने सशक्त विचार प्रस्तुत किये।

लोहिया ने हरिजनों में आत्मसम्मान जगाने के लिए उन्हें ऊँची जातियों के समान धार्मिक कृत्य करने के सुझाव दिये। इसका यह आशय है कि लोहिया हरिजनों को पूजा-पाठ आदि के समान अवसर दिलाकर उनके निकृष्ट व्यवित्त्व वाले मनोभाव को समाप्त करना चाहते थे। अशिक्षा के कारण एवं जाति प्रथा के दुष्प्रभाव से हरिजनों की अस्वास्थ्यकर पेशों (पाखाना धोना आदि) निरन्तर उन्हें अधोगमन दिशा में भेजता रहा। अतएव इस पक्ष के समाधान हेतु उन्होंने हरिजनों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बल दिया। लोहिया यह भी मानते थे कि उनके साथ मानवोंचित व्यवहार किया जाना आवश्यक है क्योंकि

राष्ट्र के सर्वांगीण उत्थान के लिए हरिजनों का उत्थान अत्यन्त आवश्यक है।

डॉ० लोहिया अन्तर्जातीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय विवाह के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 'समान प्रसवः जाति' के सूत्र को केवल समझने के लिए नहीं अपितु स्थायी मानसिक दशा के रूप में अपनाने के लिए विश्व-नागरिकों को जागृत किया। (वही, पृ१११) हरिजन कल्याण के लिए सह भोज को वे अचूक अस्त्र मानते थे। उनका कहना था कि 'एक पंक्ति में बैठकर और एक हंडिया का पका हुआ भोजन हो तो इससे कुछ असर पड़ेगा।' (लोहिया, पृ१११) उनके अनुसार शासकीय सेवा के लिए अन्तर्जातीय विवाह एक योग्यता और सहभोज को स्वीकार करना एक अयोग्यता मानी जानी चाहिए। केवल तभी जाति और अस्पृश्यता की समाप्ति संभव होगी।

निष्कर्षतः: लोहिया ने हरिजनों की दयनीय स्थिति और उसके दुष्परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की धूमिल छवि को एक कारण माना है। उन्हीं के शब्दों में 'अगर वे अपने देश में चमार, भंगी और शूद्र लोगों को बनाये रखेंगे तो दुनिया की पंचायत में वे भी शूद्र बने रहेंगे। अतः विश्व पंचायत में बराबरी हासिल करने का सपना साकार करने के लिए द्विजों को अपने 22 करोड़ भाइयों को व्यक्तित्ववान् बनाना आवश्यक है।' (लोहिया, 1964, पृ३५) अतएव लोहिया का यह सुझाव है कि 'इनके पुराने संस्कार, परम्परा, परिपाटियों को बदल करके, आदतों को बदलकर नई आदतें और नये संस्कार इनमें आयें, इनको नया मौका मिले इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है।' (वही, पृ१११) लोहिया हरिजन-उत्थान के लिए राजनीति में उनको नेतृत्व के उच्च पदों पर आसीन करना चाहते थे। उन्होंने हरिजनों में से नेता निकालने के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखा है कि 'मैं चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों में से नेता निकले जो चापलूस भी न हों और नफरत फैलाने वाले भी न हों और मध्यम तथा स्वाभिमानी मार्ग पर चलकर सारे हिन्दुस्तान और देश के सभी लोगों के नेता बनें।'

प्रायः यह देखा जाता है कि जब हरिजनों अथवा शूद्रों में से कोई नेता बन जाता है तो वह उच्च जाति की बुराइयों को स्वयं अपना लेता है। लोहिया का कहना था कि इस वृत्ति से हरिजन नेताओं को बचना चाहिए तभी वे अपने वर्ग एवं राष्ट्र का उत्थान कर सकेंगे। तद्भाँति डॉ० लोहिया अपने सामाजिक विचारों के क्रम में भारतीय नारी की संवीक्षा करते हैं। डॉ० लोहिया का अभिमत है कि भारतीय नारी पॉचवां वर्ण है। भारतीय नारी की दशा अत्यन्त दयनीय है। वह खुद भूखी रहकर परिवार को खिलाती है। भारतीय परिवार में सबसे पहले परिवार के पुरुष सदस्य भोजन करते हैं तथा जो अवशेष भोजन बच जाता है उसी से अपनी क्षुधा शान्त करके सो जाती हैं। गृहस्थी के समस्त कार्यों का सम्पादन नारी करती है पुरुष उसका हाथ नहीं बंटाता है। भारतीय नारी की प्रतिभा परिवार की प्राचीरों में कुण्ठित हो रही है।

डॉ राम मनोहर लोहिया ने नारी को भी एक जाति माना है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नारी की दुर्दशा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उसका पिछ़ापन है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि पूरे विश्व में सदियों से नारियों के प्रति जो एक उदासीन वृष्टिकोण रखा गया उसके कारण आज मानव जाति की निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति वृष्टिगोचर हो रही है। (अल्टेकर, पृ०२३) नारी के प्रति दुर्व्यवहार, अशिक्षा, तथा अधिकारों से वंचित रखने की सदियों पूर्व से चली आ रही लम्बी कहानी ने न केवल नारियों की दयनीय स्थिति को सृजित किया है वरन् मानव सम्यता को कलंक के धब्बे से आच्छादित कर दिया है। अल्टेकर का यह कथन कि 'किसी भी देश की सम्यता एवं संस्कृति का यथार्थ प्रतिबिम्ब वहाँ की स्त्रियों में देखा जा सकता है', पूर्णतः सत्य है। नारियों की विवशता और उन पर हो रहे सदियों से अत्याचार ने लोहिया को इस दिशा में सोचने एवं नारी मुक्ति आन्दोलन को तेज करने के लिए बाध्य किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक नारियों को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिलाया जाता तब तक मानव समाज का उत्थान एवं विकास असम्भव है।

Major writings in English

- The Caste System, Nav hind, Hyderabad, 1964
- Foreign Policy, P C Dwadash Shreni, Aligarh, 1963
- Fragments of a World mind, Maitrayani, Allahabad, 1949
- Fundamentals of world mind, Ed by K S Karnath, Sindhu Pub Bombay, 1987
- Guilty Men of India's Partition, Lohoya Samta vidyalay Nyas, pub department, 1970
- India China and Northern Frontiers, Navhind Hyderabad, 1963
- Interval during Politics, Navhind, Hyderabad, 1965
- Marx Gandhi and Socialism , Navhind, Hyderabad, 1963
- Collected works of Dr Lohia, A nine vol set edited by veteran socialist writer Dr Mastram Kapoor, published by Anamika publications, New Delhi

Source http://en.m.wikipedia.org/.../Ram_Manohar_....

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में लोहिया ने नारी सम्बन्धी जो विचार प्रस्तुत किये उनके कई पक्ष हैं। उदाहरणार्थ नर-नारी समता, विवाह, दहेज, परिवार नियोजन, नारियों की शारीरिक संरचना एवं प्रकृति के अनुकूल उन्हें विशेष अवसर सुलभ कराना, नारी स्वतंत्रता आदि।

Selected Books on Lohia

- Socialist Thought in India: The Contribution of Dr Ram Manohar Lohia by M Arumugam, Sterling, New Delhi, 1978
- Dr Ram Manohar Lohia, His life and Philosophy by Indumati Kelkar, Pub by Samajwadi Sahitya Sansthan, Anamika Pub New Delhi, 2009
- Lohia, A study, by N C Mehrotra, Atma Ram, 1978
- Lohia and Parliament, Pub by Lok Sabha Secretariat 1991
- Lohia Through letters Pub by Roma Mitra 1983
- Lohia by Omkar Sharad, Prakashan Kendra Lucknow, 1972
- Lohia and American Meet by Harris Woodford, Sindhu, 1987
- Leftism in India, 1917-1947 by Satyabrat Roy Chaudhary, Palgrave macmillan, 2008
- Lohia ek jeewani, by Omprakash Deepak and Arvind Mohan Pub by Wagdevi Prakashan, 2006

Source http://en.m.wikipedia.org/.../Ram_Manohar_....

लोहिया ने अपने, समकालीन भारतीय समाज की नारियों की स्थिति को निकट से देखा एवं समझा। नारी की स्थिति का एक वास्तविक चित्रण उन्होंने इन शब्दों में किया है, "नारी की रसोई की गुलामी वीभत्स है, और चूल्हों का धुआँ तो भयंकर है"। (लोहिया, 1964, पृ०४) हिन्दुस्तानी औरत के परम्परागत संस्कार ऐसे हैं कि भूख और अभाव की चोट सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसी पर पड़ती है। वह सारे घर को खिलाने के बाद खाती है और इसलिए अक्सर भूखी या अध पेटी सोती है। "(जन, 1966, पृ०२१) पुरुषों की अपेक्षा औरतों की बेजान स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए लोहिया ने लिखा है, "औरत। हिन्दुस्तान की औरत। दुनियाँ के दुःखी लोगों में सबसे ज्यादा दुखी, भूखी, मुरझाई और बीमार हैं। हिन्दुस्तान का मर्द भी दुखी है— पर हिन्दुस्तानी औरत, मर्द के मुकाबले कई गुना ज्यादा भूखी और बीमार है।" (वर्मा, 1969, पृ०२७)

भारतीय संस्कृति में नर-नारी जन्म में ही असमानता है। नर का जन्म सुखद और नारी का दुःखद माना जाता है। इसका मुख्य कारण भारत में व्याप्त दहेज-प्रथा है। वधू की योग्यता, शिक्षा, सुन्दरता आदि तो गौण है। वधु-विवाह में वर-पक्ष दहेज की अधिक मात्रा से प्रभावित होता है। जिस प्रकार गाय दूध की मात्रा से नहीं, उसके बछड़ा नीचे होने से क्रेता के लिए मूलयवान होती है, उसी प्रकार वधू योग्यता से नहीं, दहेज से ही अच्छे घर में विवाहित होती है। लोहिया ने उचित ही कहा है, 'बिना दहेज के लड़की किसी मसरफ की नहीं होती, जैसे बिना बछड़े वाली गाय।' (लोहिया, 1964, पृ०५)

इसके अलावे विवाह की निमंत्रण की सुन्दरता, दी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य, कण्ठियों की कीमत तथा अन्य तड़क-भड़क वर-वधू के आत्म-मिलन से अपेक्षाकृत अधिक महत्व की समझी जाती है। लोहिया ठीक ही कहते हैं कि ‘उनकी शादियों का वैभव आत्मा के मिलन में नहीं है, जिसे प्राप्त करने का नवदम्पत्ति प्रयत्न करते, बल्कि बीस लाख की कण्ठियों और पचास हजार से भी ज्यादा कीमती साड़ियों में है।’ (वही, पृ० 7) दहेज की इस घृणित प्रथा की भर्त्सना के लिए शक्तिशाली लोकमत तैयार किया जाना चाहिए और जो युवक इस क्षुद्र तरीके से दहेज लेते हैं, उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

लोहिया बहु पत्नी-प्रथा के घोर विरोधी हैं। उनका मत था कि यदि पत्नी एक पति रख सकती है तो पति को भी केवल एक ही पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम धर्म की इस स्वतंत्रता की कटु आलोचना की है जिसके अनुसार एक मुसलमान को चार पत्नी तक रखने का अधिकार दिया गया है। उनका विश्वास था कि जब सर्वगुण-सम्पन्न द्वौपदी अपने पाँच पतियों के साथ सम-व्यवहार न कर सकी तो साधारण मानव के लिए पत्नियों के साथ सम-व्यवहार कर सकना असंभव और अस्वाभाविक है। उनका विचार था कि “जो औरत को भी चार पति करने की इजाजत नहीं देता है, वह जब कहता है किसी भी आधार पर धर्म हो, कि चार औरतें करने का हक होना चाहिए तो बड़ा गन्दा मर्द है।” (वही, पृ० 174) लोहिया नर-नारी के बीच इस सम्बन्ध में समता चाहते थे। एक पत्नी एक पति का सिद्धान्त ही उनके लिए आदर्श था। घर के कार्यों के सम्बन्ध में भी वे समता का प्रतिपादन करते हैं। उनका कहना था कि अगर औरत की जगह रसोई घर में हो तो आदमी की जगह पालने के पास होना चाहिए। (वही, पृ० 137)

नारी स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए लोहिया ने कहा कि आधुनिक पुरुष अपनी स्त्री को एक ओर सजीव, क्रान्तिपूर्ण एवं ज्ञानी चाहता है, दूसरी ओर अधीनस्थ भी। पुरुष की यह परस्पर विरोधी भावनाएँ बहुत ही काल्पनिक, अवास्तविक एवं यथार्थता से परे हैं क्योंकि परतंत्रता की स्थिति में ज्ञान, सजीवता एवं तेज का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? लोहिया ने नर के इस प्रकार के भरे हुए मस्तिष्क को जगाया और कहा “या तो औरत को बनाओ परतंत्र, तब मोह छोड़ दो औरत को बढ़िया बनाने का। या फिर, बनाओ उसकी स्वतंत्र। तब वह बढ़िया होगी, जिस तरह से मर्द बढ़िया होगा।” लोहिया के उपर्युक्त दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि नर-नारी समता के प्रतिपादन में उनका प्रमुख उद्देश्य था नारी को बुद्धिमान, विवेकी, क्रान्तिपूर्ण और ज्ञानी बनाना।

डॉ लोहिया नारी को आर्थिक-दृष्टि से भी स्वतंत्र करना चाहते थे। वे नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन ही नहीं, अवसर और विधि की समानता ही नहीं, अपितु नारी की प्राकृतिक कमज़ोरी की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष अवसर के पक्षपाती थे। “प्रथम योग्यता फिर अवसर” उनका सिद्धान्त न था, बल्कि “प्रथम अवसर और फिर योग्यता” को ही वे उचित

समझते थे। इस हेतु उनका तर्क था कि ‘शरीर संगठन के मामले में मर्द के मुकाबले में औरत कमज़ोर है और मालूम होता है कि कुदरती तौर पर कमज़ोर है। इसलिए उसे कुछ स्वाभाविक तौर पर ज्यादा स्थान देना ही पड़ेगा।’

लोहिया के अनुसार नारी के सक्रिय सहयोग के बिना राजनीति अपूर्ण है। अतः राजनीति में नारी को नर के समान हिस्सा बनाना चाहिए। वे तलाक के सिद्धान्त को विवाह के क्षेत्र में स्वीकार करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में नहीं अर्थात् राजनीति में नारी को नर के समान सक्रिय भाग लेना चाहिए। उसे राजनीति से तलाक नहीं लेना चाहिए। लोहिया नारियों को केवल गुड़िया या उपभोग की निर्जीव वस्तु नहीं मानते। वे कहा करते थे कि “नारी को गठरी के समान नहीं बनाना है, परन्तु नारी इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले।” इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता पर अत्यधिक जोर दिया है।

लोहिया ने नारियों की स्थिति के सम्बन्ध में जो अनुभव किया उसके कारणों की मीमांसा तथा समाधान प्रस्तुत किया है—

- 1— नारी पर दोहरा अत्याचार होता है, प्रथम समाज की रचना एवं नारी विरोधी संस्कृति ने नारी को इस भयावह अवस्था तक पहुँचाया है।
- 2— परिवार में पति एवं परिवार के अंकुश एवं दुर्व्यवहार ने उसे पशुवत बना दिया है।
- 3— नारियों को घर के चहारदीवारियों के भीतर रखने एवं कार्य करने की प्रथा एवं आदत को बढ़ावा दिये जाने के कारण उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गयी है और इस प्रकार वह गुलामी की जंजीर में जकड़ गयी है।
- 4— उपर्युक्त कुप्रथाओं ने एक ऐसी विषैली वातावरण का निर्माण किया जो निरन्तर नारियों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को विनाश की ओर ले जा रहा है। (लोहिया, 1964, पृ० 41)

संक्षेप में डॉ लोहिया ने नर-नारी के बीच व्याप्त बहुरूपी असमानताओं का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया, उन पर गंभीरता से विचार किया और भविष्य के लिए पथ निश्चित किया। अन्त में उनका कहना है कि यदि वास्तव में समाजवाद की स्थापना करनी है तो हिन्दू नर के पक्षपाती दिमाग को ठोकर मार-मार करके बदलना है। नर-नारी के बीच में बराबरी कायम करना है।

सन्दर्भ:

16 दिसम्बर, 1959 को लखनऊ में डॉ लोहिया द्वारा दिये गये भाषण का अंश।

वर्मा, रजनीकांत(1969) लोहिया और औरत लोहिया वादी
साहित्य विभाग, श्री विष्णु आर्ट प्रेस, इलाहाबाद,
जन, नई दिल्ली सितम्बर 1966,

आन्द्रबेतिल्ले, (1966) कास्ट, क्लास एण्ड पावर आक्सफोर्ड
युनिवर्सिटी प्रेस,

अल्टेकर ए०ए० द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिन्दू
सिविलाइजेशन, मोती लाल बनारसी दास, पटना
प्रथम संस्करण।

लोहिया (1956): कांचन—मुवित, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद,,

लोहिया (1963): मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, नवहिन्द प्रकाशन,
हैदराबाद,

लोहिया (1966): धर्म पर एक दष्टि, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद,
लोहिया (1970): निराशा के कर्तव्य, समता विद्यालय न्यास,
हैदराबाद

लोहिया: सात क्रान्तियाँ

लोहिया: देश—विदेश नीति: कृष्ण पहलू, राम मनोहर लोहिया
समता विद्यालय न्यास, हैदराबाद, पृष्ठ—91

लोहिया:(1964) जाति प्रथा, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद,

लोहिया, राम मनोहर (1964) : द कास्ट सिस्टम, नव हिन्द
प्रकाशन, हैदराबाद,